



30/8/18 बीरग वकावली पेशवाई इलाका
का 57/2017 का अदालतगरी
अदालतगरी में खारिज हो चुकने
के: अब 212 RTI का-पत्र को-
हो चिल्ली समीप हो जावे
फलस्वरूप आ.पत्र 212 RTI
खारिज किए जावे। वकावली
फिलहाल अब नक्के शुद्ध है

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

मान्यवर,

प्रार्थीगण निम्न आधारों पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं :-

यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवान का एक वाद इस सम्मानीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।

- 1. यह कि प्रार्थीगण ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल के निवासी है

21/2/18

मीरग
श्रीवा सुनी

मीरग

मीरग